22/4/24 पत्रावली पेश हुई। P.O. [illegible] पर पधारे हुए हैं। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 25/4/24 को पेश हो।

25/04/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण तथा अभियोजी द्वि. 1 केशवदास का जवाब पेश है। मुझे ही अभियोजी द्वि. 2 का जवाब बंद किया जाता है। उप-वकील वादीगण की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन मनन किया गया। प्रति. 1 के जवाब में अभावपति का कथन है। उपस्थित वकील वादीगण की बहस सुनी जाकर प्रस्तुत बहस व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रा. पत्र बाबत पत्थरबंदी स्वीकार किया जाकर पत्थरबंदी अनुमति सीमा ज्ञान रिपोर्ट दि. 11.06.2015 किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। विस्तृत निर्णय पृथक से अंकित होकर अभिलेख मिसल है। नकल पृथक से जारी हो। पत्रावली कैफियत अनुसार होकर बाद नकल कार्यालय दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर दोनों दस्तावेज व न्यायालय मुद्रा से नष्ट किया जाए।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Singh
Date: 2024.08.23 12:19:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner